बीस हजार रुपये

RUPEES

20000 रुपये

Rs 20000 ₹ INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 ₹

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178909

STAMP
[illegible] DEC 2006
Sr. T.O. Mathura

(2)

इकरारनामा दिनांक 12.4.2006 जिल्द संख्या–3852 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 360100/– रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है।

10. सरकारी दर [illegible] के [illegible] 500000/– रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 62 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा – प्रथम

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

[illegible] पुत्र श्री पूरना निवासी ग्राम [illegible] उस्मानपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता [illegible] व एस0जे0पी0 रीयल इस्टेट डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 11, श्री जगन्नाथ कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुख्तारआम [illegible] द्वारा लेखपत्र [illegible] है।

[illegible]

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178930

STAMP
02 DEC 2006
Sr. T.O. Mathura

(3)

क्रेता की संख्या (1)

<u>क्रेता का विवरण</u>

एस0जे0जी0 प्रोपर्टीज द्वारा संजीव राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजगन्नाथपुरी कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

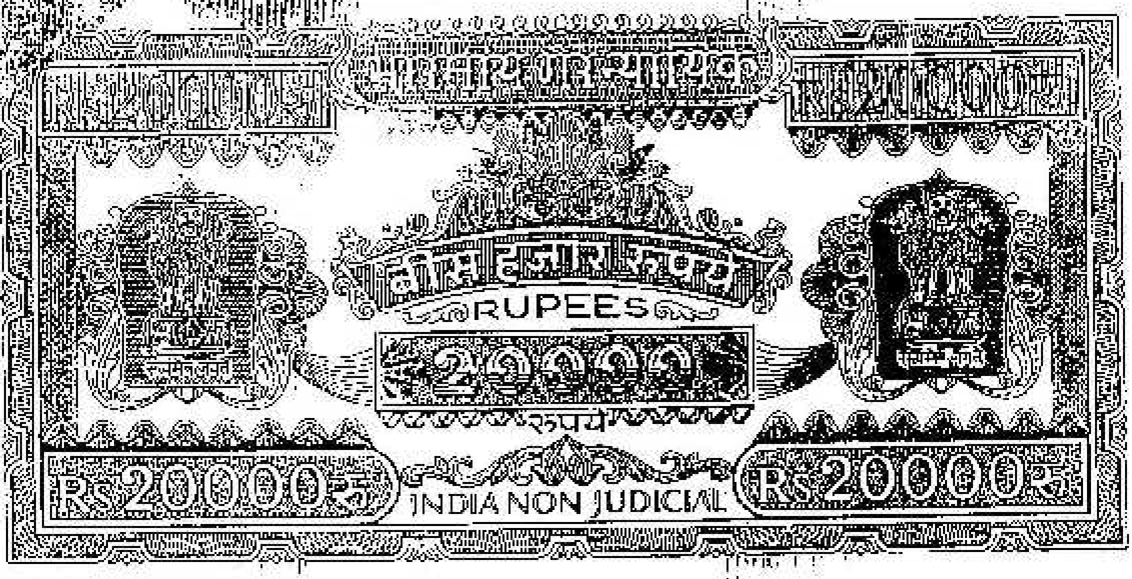

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178911

12 DEC 2006

(4)

इसके रघो पुत्र श्री पूरना निवासी ग्राम उतोहा अरुणपुर तहसील व जिला मथुरा [illegible] प्रथमपक्ष व एस०जे०पी० रियल इस्टेट डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्रीजगन्नाथपुरी कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा है [illegible] द्वितीयपक्ष [illegible] इस लेखपत्र के है।

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

178912

DEC 2006

(5)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–386 व खसरा नंबर–133 रकबा 2.905 हैक्टेयर मालियत लगानी 53.90 रुपया वाके मौजा सलोहा असरफपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जा आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178913

STAMP
12 DEC 2006
Sr. S.O. Mathura

(6)

हक हिस्सा के सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष को इस बैनामा करने मे कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी चार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यह कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौके की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 800000/–रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी रकबा 2.905 हैक्टेयर

[redacted]

Rs 20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178914

12 DEC 2006

(7)

का हिस्सा 1/2 की रकम हेतु मालियत 4000000/- रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सम्भव है इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने मे विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जायेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा है दिनांक-12.4.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा मे बही नम्बर-1 जिल्द 3598 के सफा 319/326 नम्बर-3652 पर हुई द्वितीयपक्ष से

[redacted]

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

178915

12 DEC 2006

तय किया था मुहायदा में की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा में ने 120000/- रुपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/- रुपये का स्टाम्प कमजर 119900/- रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष

[redacted]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178956

STAMP
2 DEC 2006
Sr. T.O. Mathura

(9)

260100/- रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी रकबा 2.905 हैक्टेयर में रा. हिस्सा 1/2 भाग आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं व भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बएवज 4800000/- अड़तालीस लाख रूपया जिसके आधे 2400000/- चौबीस लाख रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178917

STAMP

12 DEC 2006

Mathura

(10)

ग्लोबल हाउस साझेदार श्याम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीरघुनाथधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रुपया पहले प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का काबिज दखल व कब्जा मालिकाना करा दिया। खरीदार बेची गई

बीस हज़ार रुपए

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

178913

0 ? DEC 2006

(11)

आराजी रकबा 2.905 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लाये और स्वयं जो चाहे सो करे अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

176939

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP
09 DEC 2006
Sr. T.O. Mathura

(12)

कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य मे कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध मे कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जाये या

भारत बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

178920

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP DEC S.R.O. Mathura

(13)

खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जवाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रुपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार यह सब विक्रेता

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

178920

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP
12 DEC 2006
Sr. T.O. Mathura

14

द्वितीयपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय खर्चे के वसूल करलें। जिसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी जुती काश्त में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु.

178922

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP
12 DEC 2006
Sr. T.O. Mathura

ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है । उक्त आराजी के 200 मीटर ([illegible]) में कृषि कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र

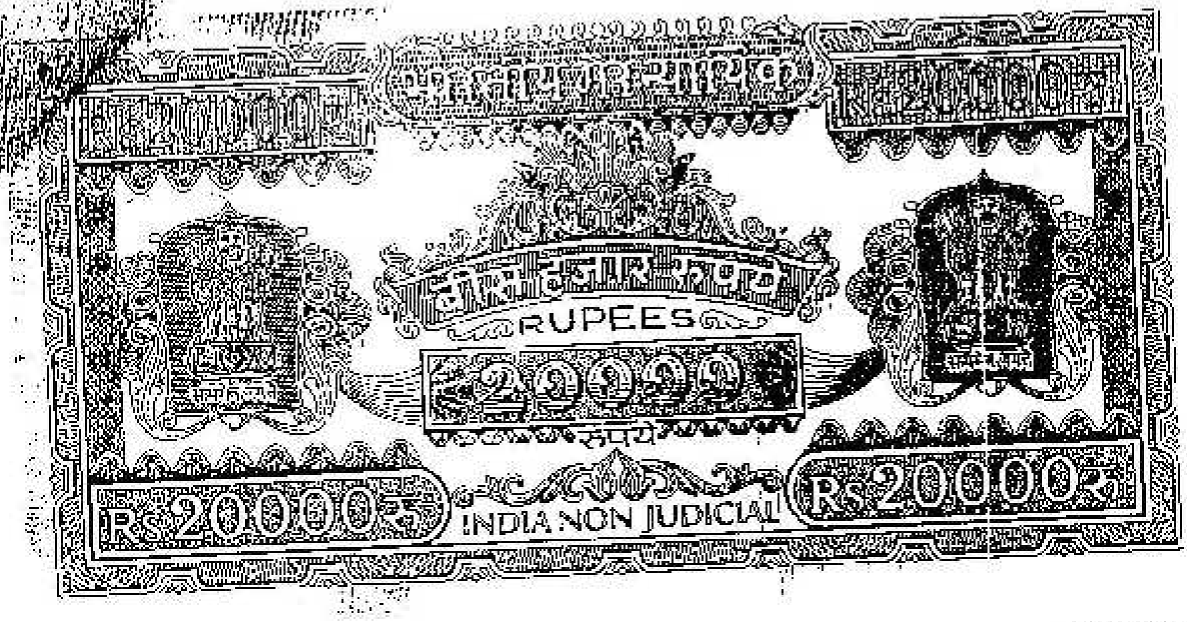

178923

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP
DEC 2006
St. T.O. Mathura

16

प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 2.905 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/2 बेचा है। तसदीकी

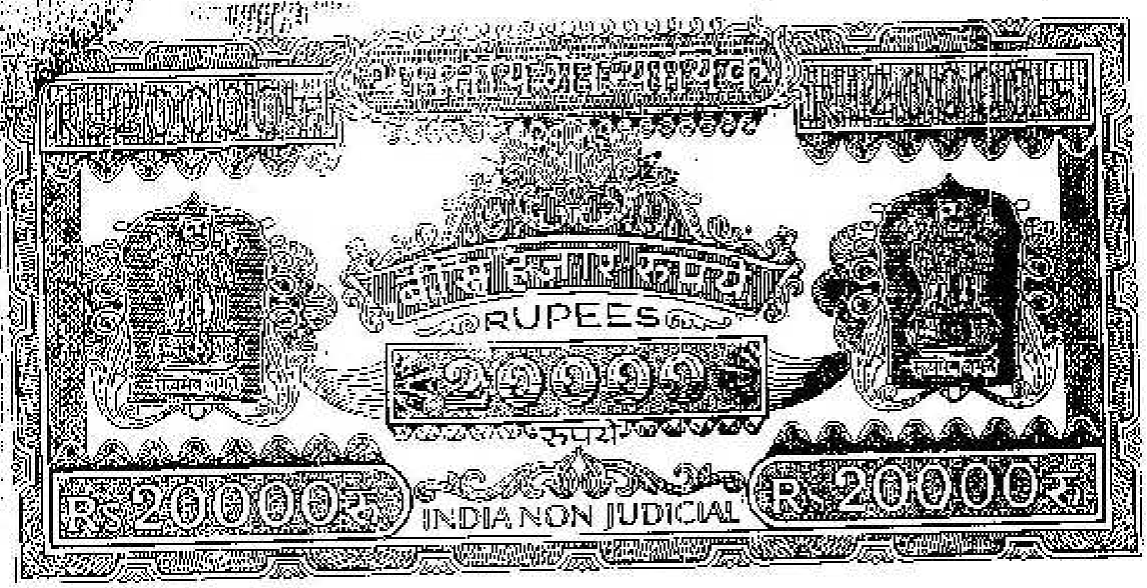

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

178924

STAMP
12 DEC 2006
Sr. T.O. Mathura

17

मुख्तारनामा आम दि0–2.6.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105 / 106 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.6.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार,

RUPEES

Rs 20000

INDIA NON JUDICIAL

178925

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

St. T.O. Mathura

18

मथुरा की सत्य रत्न अग्रवाल पुत्र श्री रमाशंकर अग्रवाल निवासी गली उटेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निष्पादन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 944415

लिहाजा यह बैनामा बकुरी राजी खुबसोचसमझकर लिख दिया के सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक 12.12.2006

कम्प्यूटराईज्ड गोपाल कृष्ण भारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा

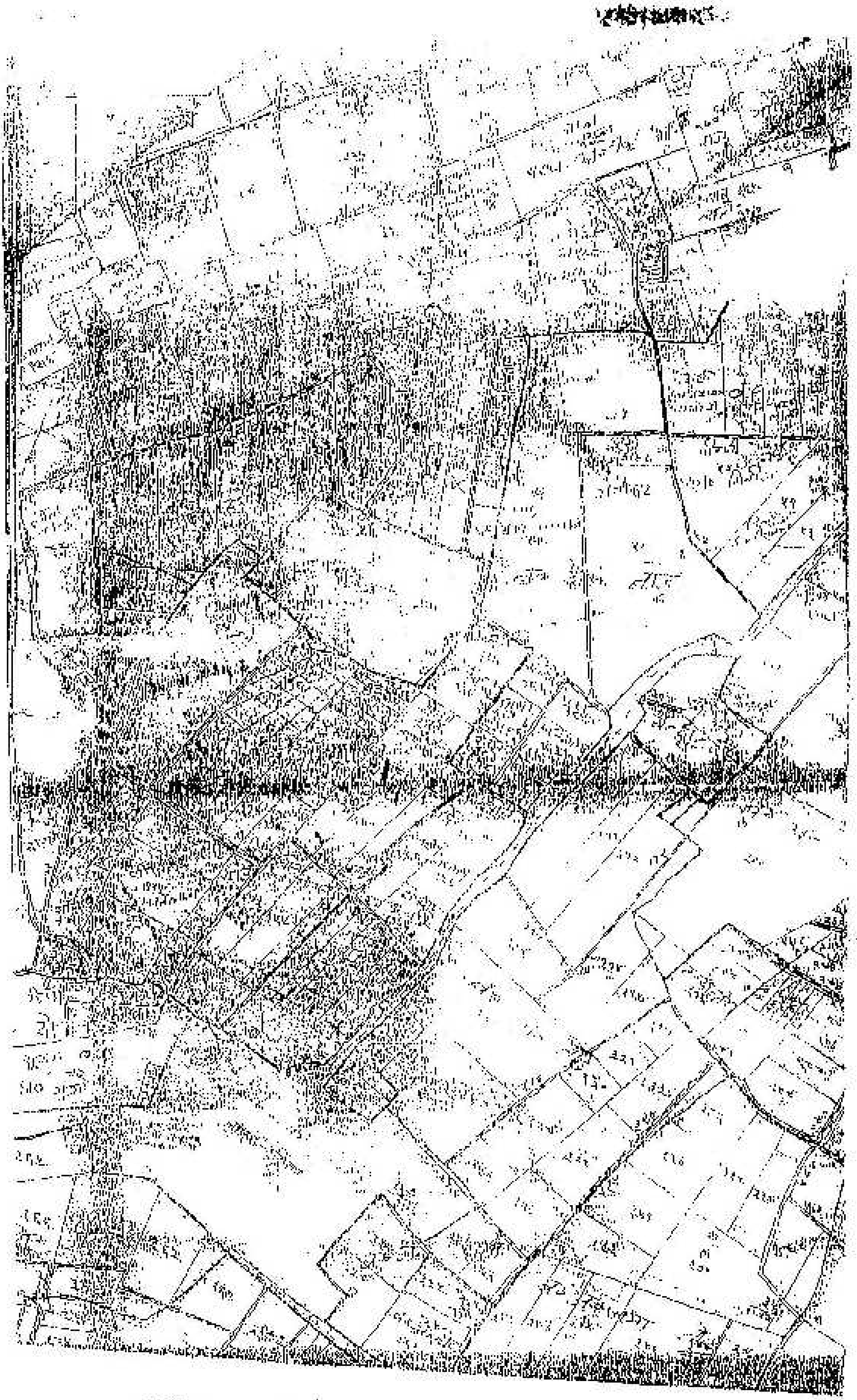

[illegible] 12-1-2006 [illegible] 100 200

[illegible]

[illegible]

आशा प्रकाश बाजपेयी
उप कोषाधिकारी
कोषागार, मथुरा

TREASURY
MATHURA
13 DEC 2006
Sig. Cashier

आज दिनांक **13/12/2006** को

वही सं **1** जिल्द सं **4029**

पृष्ठ सं **105** से **144** पर क्रमांक **14176**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
13/12/2006

[redacted]

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

रुपये 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

093469

12 APR 2006

इकरारनामा मुहायदा बै 3000000/— रूपये ब्याना 200000/— रुपया म्याद दस माह इस समय अदा किया जाने वाला स्टाम्प 120000/—रूपया कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा प्रथम।

मैं कि रघो पुत्र श्री पूरना निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा का हूं।

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16 ... 3657/06
के अन्तर्गत [illegible]
में 199000/- [illegible] किया गया
स्टाम्प [illegible] मुकदमा न० ...
के साथ सम्बन्धित किया गया। 14/7/06

उप निबन्धक प्रथम
13/7/06

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 093468

TREASURY OFFICE STAMP

12 APR 2006

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर—386 व खसरा नंबर-133 रकबा 2.905 हैक्टेयर सालाना लगानी 53.90 रुपया वाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत मेरी है। और मेरा ही नाम दर्जकागजात सरकारी है जिस पर मेरा वास्तविक मालिकाना कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार मालिकाना व काबिजाना तथा हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं। और जो हर तरह के झगडे झंझट कर्ज आदि से पाक साफ है जिसमे सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व संबंध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो आराजी बेचने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सकें। उक्त आराजी पर किसी भी सरकारी संस्था वित्तीय संस्था व बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई बार या भार बकाया नहीं है। यानि कि बेचे जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ

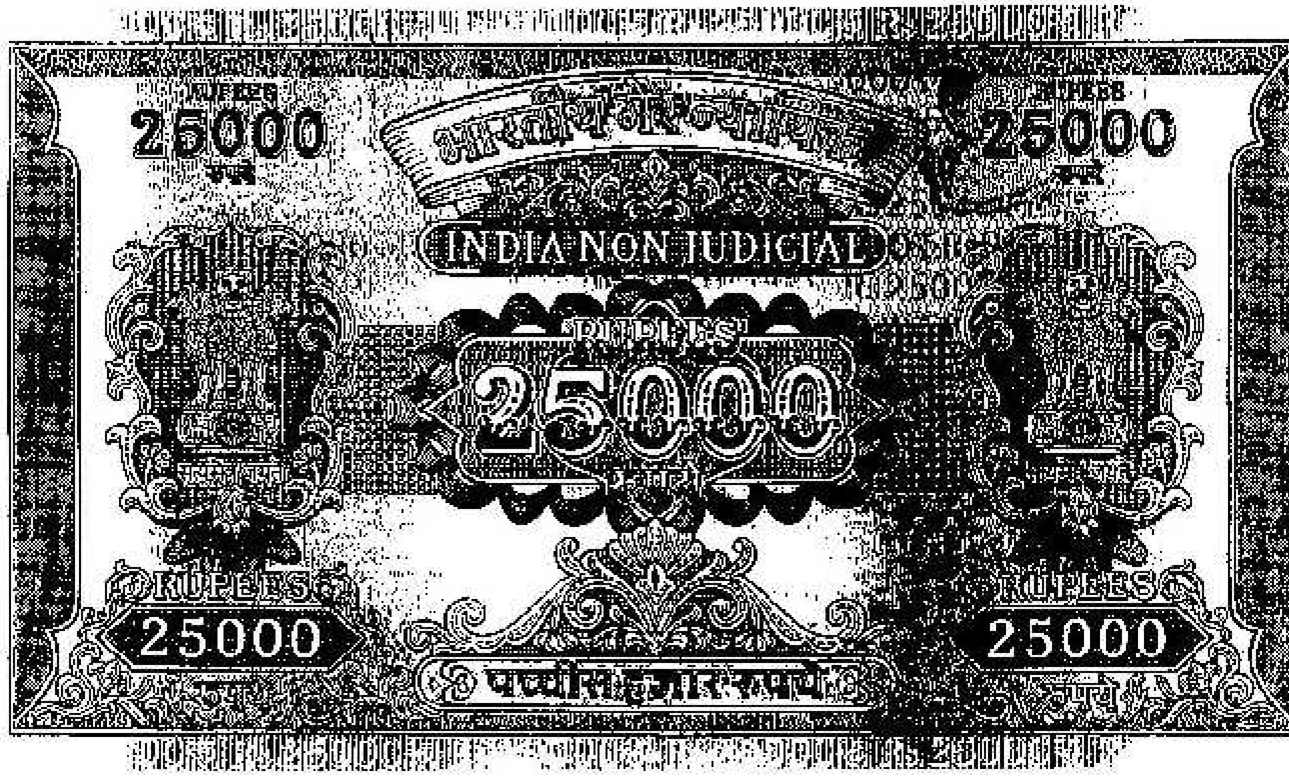

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 093467

(3)

मिल्कियत मेरी है और मेरे इसी विश्वास कराने पर के सौदा किये जाने वाली आराजी का मैं ही एक मात्र स्वामी हूं खरीदार उक्त आराजी को खरीदने को तैयार हुआ है। अब मैंने अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा 3000000/- तीस लाख रूपये में एस0जे0पी0 रीयल इस्टेट डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा से तय कर लिया है और क्रेता से 200000/-दो लाख रूपये बतौर पैशगी नकद वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा पाया व शेष रुपया वक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि सब खरीदार के जिम्मे हैं। म्याद करने बैनामा दस माह तय हुई है। मैं उक्त म्याद में उक्त आराजी का बैनामा समस्त कानूनी पूर्ति

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 093466

(4)

करके खरीदार के नाम या खरीदार के कहे अनुसार व्यक्ति के हक में कर दूंगा! यदि मैं उक्त अवधि के अन्दर उक्त शर्तों के अनुसार उक्त आराजी का बैनामा न करूं तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह द्वारा अदालत शर्तें पूरी कराते हुये मय हर्जा खर्चा नुकसान आदि के बैनामा करालें ऐसी दशा में खरीदार के समस्त हर्जे खर्चे की मेरी जिम्मेदारी होगी और यदि मेरे द्वारा सभी शर्तें पूरी कर बैनामा करने को तैयार रहने पर भी क्रेता ने म्याद के अन्दर बैनामा न कराया तो फिर उसे कोई अधिकार बैनामा कराने या ब्याना वापिसी का न होगा। क्रेता उक्त आराजी का वक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये है। उपरोक्त इकरारनामा क्रेता व विक्रेता व गवाहान को पढ़ाकर व सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट किया गया है।

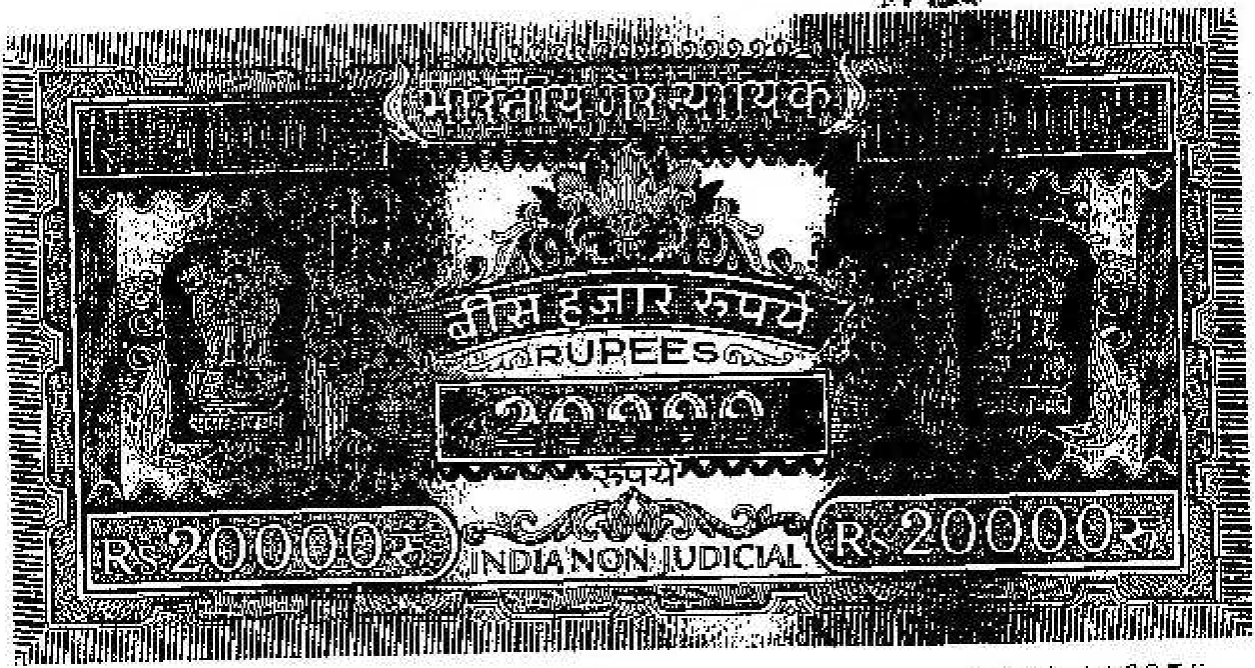

02CC 416279

(5)

लिहाजा यह इकरारनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। जिसका मैं व मेरे वारिसान पाबन्द रहेंगें।

दिनांक–12.4.2006
टाईप किया : गोपाल कृष्ण शारिया पुत्र श्री महेश कुमार
गिर्राज फोटो स्टेट, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

उद्धरण खतौनी

ग्राम कोड : 07010200101 ग्राम का नाम : संतोहा अस्सगर पुर परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है								
00386	हं	पूरना	नि. ग्राम	1409फ	133	2.9050		1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.492 TM ता.कि.19.1.07 के अनुसार खाता सं.386 गाटा सं. 133/2.905 मु.रा 53.90 के 1/2 भाग से [illegible] पुत्र पूरना निवासी ग्राम का नाम निरस्त करके [illegible] पी.प्लोबल द्वारा साझीदार [illegible] निवासी [illegible] का नाम [illegible] दिनांक 10.12.06 के आधार पर दर्ज [illegible] ह.RK.19.1.07 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.493 TM ता.कि.19.1.07 के अनुसार खाता सं.386 गाटा सं. 133/2.905 मु.रा 53.90 के 1/2 भाग से [illegible] पुत्र पूरना निवासी ग्राम का नाम निरस्त करके [illegible] द्वारा साझीदार [illegible] पुत्र [illegible] निवासी [illegible] मथुरा का नाम [illegible] दिनांक 10.12.06 के आधार पर दर्ज सं.पू. [illegible] ह.RK.19.1.07 1414फ व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा वाद सं.81/06-07 एस.जी.पी.प्लोबल तथा साझीदार [illegible] धारा 143 ज.वि. [illegible] अधि मौजा संतोहा असगरपुर घोषणा अन्तर्गत धारा-143 ज.वि.एवं भू.व्य.अधि. दिनांक 29.1.07 एवं 24.2.07 के आधार [illegible] दिनांक 27.1.07 के अनुसार	

12-4-06 2-(...)

आशा प्रकाश द्विवेदी
उप निबंधक
... मथुरा

12/4/06

आज दिनांक .... को बही 3398

जिल्द बही सं० 1 के [illegible] .... [illegible]

के पृष्ठ सं० 319/ ... [illegible]

नं० ...... 365 ...... [illegible]

[illegible]

उप-निबन्धक
मथुरा [illegible]

ग्राम कोड : 07010200101 ग्राम का नाम : सतोहा असगर पुर परगना : मथुरा तहसील : मथुरा

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी का संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	वर्तमान अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
								निम्न प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है मौजा सतोहा असगरपुर खाता संख्या 386 नाम भूमिधरी- एल.जे.पी.एलेक्टिल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 कृष्णा-नगर कालोनी मथुरा खसरा संख्या 133 रकबा 2.905 पू.रा 53.90 अकृषिक घोषित किया जाता है। R.ARK.26.2.07	
				कुल गाटे :	1	कुल हे : 2.9050	53.90		

हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या/ 2006-07

एस0पी0के0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा मलोटा अलगरपुर

उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 21.1.2007 से विदित है कि मौजा मलोटा अलगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खातासंख्या 381 खसरासंख्या 104मि./0.211, खातासंख्या 316 खसरासंख्या 103/0.200 व खातासंख्या 386 खसरासंख्या 133 रकबा 2.905है. के एस0पी0के0ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री कृष्णा धाम कालोनी, मथुरा भूमिधर के रूप में भूमि पर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागबानी, मत्स्यपालन कुक्कुटपालन आदि कृषि के कार्यों में नहीं लाई जा रही है। यह भूमि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण या किसी अन्य योजना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा ने अकृषिक घोषित किए जाने की संस्तुति की है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्नवत अकृषिक घोषित की जाती है:

मौजा परगना व जिला	भूमिधर नाम व पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भू-राजस्व	अकृषिक उपयोग में आने वाली भूमि का विवरण: खसरा	रकबा	भू-राजस्व	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मलोटा अलगरपुर मथुरा	एस0पी0के0ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री कृष्णा धाम कालोनी, मथुरा	381	104मि.	0.211	5.00	104मि.	0.211है.	5.00पैसे	
		316	103	0.200	5.00	103	0.200है.	5.00पैसे	
		386	133	2.905	53.00	133	2.905है.	53.00पैसे	
			योग-3 किता			अंकित 3.316है. 63.00	3 किता 3.316है.	63.00पैसे	

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जाये।

दिनांक: 27.1.2007

(अनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक: 27.1.2007

(अनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभिलेखाधिकारी

क्रमांक 760
नाम प्रार्थी [illegible]
प्रार्थना पत्र का दिनांक 27.1.07
सहायक [illegible]

उद्धरण खतौनी

[illegible] कूटांक : 07010200101 ग्राम का नाम : [illegible] अकबरपुर परगना : मथुरा तहसील : मथुरा

[illegible] : मथुरा फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

[illegible] खाते की संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार आरम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
	2			3	4	5	6	7-12	13
1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
[illegible]	[illegible] द्वारा साझीदार [illegible] अग्रवाल	[illegible] अग्रवाल	[illegible] 111 [illegible] कॉलोनी मथुरा	1414फ	133	2.9050		1414फ व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा वाद सं 81/06-07 एस.के.पी.ग्लोबल द्वारा साझीदार नामअस्थालबनाम [illegible] धारा 43 [illegible] मौजा [illegible] अकबरपुर [illegible] धारा 143 [illegible] दिनांक [illegible] 07 तथा 24.2.07 के अनुसार [illegible] पारित आदेश दिनांक 27.1.07 के अनुसार [illegible] भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। मौजा [illegible] अकबरपुर खसरा संख्या 355 [illegible] [illegible] अग्रवाल निवासी 111 [illegible] कॉलोनी मथुरा [illegible] 133 रकबा 2.905 [illegible] 53.90 अकृषिक घोषित किया जाता है। ह.ARK.26.2.07	ओ.बी.सी. [illegible] 05.01.06 को [illegible] 75000/ [illegible] ह. [illegible]

कुल गाटे 1 कुल से 2.9050 53.90

हस्ताक्षर

INDIA

FIVE RUPEES

[illegible]

926

12.2.08

14.2.08

19.2.08

19.2.08

321

नकल ज़ौत नं० आकार पत्र-४५

(नियम ६७)

[illegible] अधिनियम की धारा 27 के अधीन तैयार की गई खतौनी

गांव [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

खतौनी खाता की कुल संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]					
४०१	[illegible] पुत्र [illegible] निवासी ग्राम		१३३	२.०४५	२३.००	६२१
४०२	[illegible] पुत्र [illegible] कुमार निवासी ग्राम		६१६	०.२६५		५२२
			६३३	०.२००		
	[illegible]		२	०.४६५	१०.००	

ह० [illegible] कर्ता

ह० [illegible] कर्ता

नकल कर्ता

मु० [illegible] प्रेस [illegible]—15 [illegible]—2-2-99—12,00,000

सत्य प्रतिलिपि

जिला अभिलेखपाल

मथुरा

(10)

मनोहरलालपुर | मथुरा | मथुरा | मथुरा

१३२	१-[illegible]	१६ मि०	१-[illegible]	४३५	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	५-[illegible]
१३३	१-३०५	४६ मि०	१-[illegible]	४०१	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	१-३[illegible]
		२० मि०	०-०१०		बरहा अव्वल दोड	अंसिचित	
		५२ मि०	०-०१०		बरहा अव्वल दोड	नलकूप	
१३४	०-०१०६ (३३)	[illegible] मि०	[illegible]	६०४	बरहा अव्वल दोड	—	[illegible]
		१८ मि०	[illegible]		बरहा अव्वल दोड	—	
		[illegible] (३४)	०-०६४ (३४)		बरहा अव्वल दोड	—	
१३५	०-०८६	४८ मि०	०-०१५	२.१०	बरहा अव्वल दोड	—	चकमा[illegible]
		३८ मि०	०-०२०		बरहा अव्वल दोड	—	
		५४ मि०	०-०३२		बरहा अव्वल दोड	—	
		५३ मि०	०-०२०		बरहा अव्वल दोड	—	
१३६	०-३६५	१८ मि०	०-०२०	४४२	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	४-४[illegible]
		५२ मि०	०-३४५		बरहा अव्वल दोड	नलकूप	
१३७	०-३६५	५२ मि०	०-३६५	४३०	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	४-४०
१३८	०-६८८	५२ मि०	०-३६५	३२४	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	३०-[illegible]
		५३ मि०	०-३२३		बरहा अव्वल दोड	नलकूप	

६-४१३			
जोड	६-२१२	सिंचित नलकूप	६-५०२
अ-जोड	०-२०१	असिंचित	०-०१०

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व [illegible] / अभिलेखपाल

मथुरा

सहायक चकबंदी अधिकारी के हस्ताक्षर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible] पुत्र [illegible] तिवारी	ग्राम [illegible]		[illegible] 12[illegible]	12[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	२०६.[illegible]	[illegible]
				[illegible]	१	[illegible]		[illegible]	–	२०६.[illegible]	[illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]	[illegible]		[illegible] 13[illegible]	[illegible]	४१२	२.[illegible]		२.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	१	२.[illegible]		२.[illegible]	–	[illegible]	[illegible]

4064(5)

10

10/4/08

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जम्मा ।

पिलान कर्ता ...

दुरुस्त कर्ता ...

नकल कर्ता ...

[illegible]

जम्मा ।

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
१३८	[illegible] निवासी ग्राम	[illegible] ११३८० ७०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	५३०	(६३१)	/								[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि [illegible] दिनांक [illegible]

ह० [illegible]

ह० [illegible]

ह० [illegible]

प्रमाणित प्रतिलिपि

२४/११/०७

[illegible] (stamp)

आवेदन देने का दिनांक 11/08

[illegible] 25/1/08

[illegible] 3/1/08

[illegible]	[illegible]	[illegible]	53	1-90			
	[illegible]	[illegible]	63	2-29			
		[illegible]	2	3-99	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible] 1379 to 1381 फ० [illegible]

5690

नकल देने का दिनांक [illegible]

नकल तैयार का दिनांक [illegible]

नकल वादी का दिनांक [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] 18/3/08

राजस्व अभिलेखपाल

मथुरा

1234

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] [illegible] भाग ४५

[illegible]

[illegible] बनाई गई खतौनी

[illegible] परगना [illegible] जिला मथुरा

खातेदार का नाम, पितृनाम तथा निवास-स्थान	खेतों की संख्या	[illegible]	क्षेत्रफल	खेत में सम्मिलित [illegible] क्षेत्रफल	[illegible] सहित मालगुजारी	विवरण
१	२	३	४	६	७	८
[illegible] भूमि [illegible] के [illegible]						
[illegible] पुत्र [illegible]	[illegible]	[illegible]	१-४०			१४०१
	[illegible]	६१	१-३००			
	[illegible]	२	३-६०		२४-१५	
[illegible]		६०	-२५			१४८२
[illegible]		७०	[illegible]			
[illegible]	-१२२	२	५-४६		४५-११	
[illegible]						
[illegible]						
[illegible] पुत्र [illegible]	[illegible]	[illegible]	१०-३२			१५१२
	[illegible]	२२५	५-५०			
	[illegible]	[illegible]	-२०			
		२	[illegible]		६२-५८	

[illegible]

ह० मिलान कर्ता

ह० दुरुस्ती कर्ता

नकल कर्ता

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व [illegible]

[redacted]

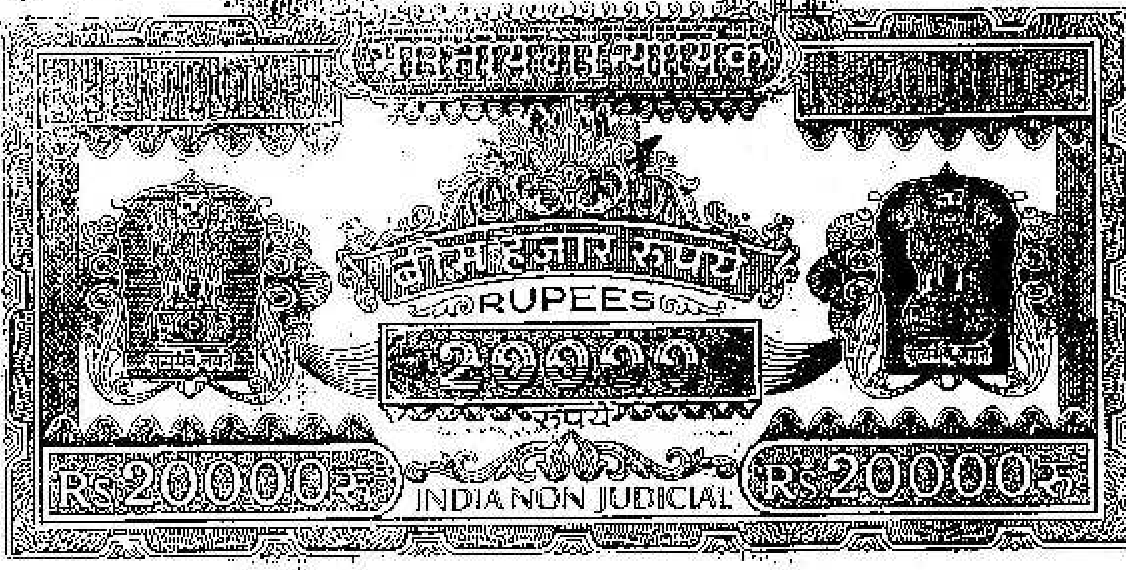

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 178908

1 भूमि का प्रकार -- कृषि भूमि

2 मौहल्ला/ग्राम, मौजा संतोहा अलगरपुर तहसील व जिला मथुरा

3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 2.905 हैक्टेयर का 1/2 भाग

4. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि भूमि

5. पेड़ों का मूल्य रुन...नहीं

6. बोरिंग/कुआ/अन्य, नहीं

7. प्रतिफल की धनराशि.. 4800000/- रुपये

8. स्टाम्प हेतु मालियत 4800000/-रुपये

9. स्टाम्प देय 480000/ रुपये जिसमें से 120000/-रुपये का स्टाम्प बजरिये